रजिस्ट्री सं. डी. (डी. एन.)-72 REGISTERED No. D. (D.N.) 72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 101] नई दिल्ली, सोमवार, मार्च 2, 1987/फाल्गुन 11, 1908
No. 101] NEW DELHI, MONDAY, MARCH 2, 1987/PHALGUNA 11, 1908

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

उद्योग मंत्रालय

(रसायन और पैट्रोरसायन विभाग)

विकास आयुक्त (औषधि) का कार्यालय

नई दिल्ली, 2 मार्च, 1987

आदेश

का. आ. 156(अ) :—केन्द्रीय सरकार, औषधि (कीमत नियंत्रण) आदेश, 1979 के पैरा 13 के उपपैरा (6) के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्न सारणी के सतम्भ 5 में विनिर्दिष्ट कीमत को, उक्त सारणी के सतम्भ 2 में विनिर्दिष्ट प्रत्येक सूत्रयोग, जिसकी प्रबलता और पैक आकार उक्त सारणी के क्रमशः स्तम्भ 3 और 4 में तत्स्थानी प्रविष्टियों में विनिर्दिष्ट

हैं, की अग्रणी कीमत जिसमें उत्पाद शुल्क और स्थानीय कर, यदि कोई हो, सम्मिलित नहीं हैं, नियत करती है :–

सारणी

क्र. सं.	सूत्रयोग का नाम	प्रबलता	पैक आकार	अग्रणी कीमत
1.	पिपाजेथेट हाइड्रोक्लोराइड गोलियां	40 मि. ग्रा. प्रति गोली	10 × 10 की स्ट्रिप	37.22

[स. 9(46)/86–डी. II]

आर. एस. माथुर, सयुक्त सचिव और विकास आयुक्त (औषधि)

MINISTRY OF INDUSTRY

(Department of Chemicals & Petro-Chemicals)

Office of the Development Commissioner (Drugs)

New Delhi, the 2nd March, 1987

ORDER

S.O. 156(E).—In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-paragraph (6) of Paragraph 13 of the Drugs (Prices Control) Order, 1979, the Central Government hereby fixes the prices as specified in column 5 of the Table below as the leader price exclusive of excise duty and local taxes, if any, of the formulation specified in corresponding entry in column (2) of the said Table with the strength and pack size specified respectively in the corresponding entries in columns (3) and (4) thereof :—

TABLE

Sl. No.	Name of the Formulation	Strength	Pack Size	Leader Price (Rs.)
1.	Pipazethate Hydrochloride Tablets.	40mg per tablet	10 × 10's Strip	37.22

[No. 9(46)/86-D.II]

R.S. MATHUR, Jt. Secy. & Development Commissioner (Drugs)

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1987